कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 36/01/डीआर/एस–3/2020–21
प्रयागराज : दिनांक : 14 फरवरी, 2022

शुद्धिपत्र

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के विज्ञापित 128 पदों के सम्बन्ध में
आनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि– 16–02–2022
आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– 28–02–2022
आनलाइन आवेदन स्वीकार (submit) करने की अन्तिम तिथि– 03–03–2022

विज्ञापन संख्या–02/2020–21 दिनांक 24.11.2020 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त 128 पदों पर चयन हेतु जारी विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में उत्तम शैक्षिक अभिलेख (सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक) के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित/संगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते हों से आनलाइन आवेदन आहूत किये गये थे। तदुपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0–2634/2021 (गोपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.09.2021. एवं तद्क्रम में शासन द्वारा शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में प्रेषित संशोधित शैक्षिक अर्हताओं के अनुक्रम में उत्तम शैक्षिक अभिलेख के अन्तर्गत सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक को लागू न होने के कारण विलोपित किया जाता है। प्रश्नगत विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

नोट–1 जो अभ्यर्थी मूल विज्ञापन संख्या–02/2020–21 के सापेक्ष पूर्व में नियमानुसार आवेदन कर चुके है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी यदि अपनी पंजीकरण संख्या एवं विवरण की जानकारी चाहते है तो "CANDIDATE SEGMENT" में Know your Registration Number पर क्लिक करके वांछित सूचनाएं भरने के पश्चात् अपना पंजीकरण संख्या ज्ञात कर सकता है। अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र की डुप्लीकेट प्रति निकालना चाहता है तो Print Detailed Application Form पर क्लिक करने के पश्चात् वांछित सूचनाएं भर कर आवेदन पत्र निकाल सकता हैं। विस्तृत विज्ञापन (हिन्दी/अंग्रेजी) आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट–2 ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित न करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गये थे तथा जिनकी आयु दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष (आयु सीमा में छूट नियमानुसार लागू रहेगी) थी, वही इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

सचिव।